तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	17/12/25 पत्रावली पेश। वकील वादी व स्वयं वादी अनुपस्थित रहे। बार-बार आवाज दिलवाये जाने के बावजूद भी वकील वादी व स्वयं वादी अनुपस्थित रहे। अतः पत्रावली अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा हो। [signature]

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अशोक बनाम लालाराम

प्रार्थना पत्र संख्या– 02/130/2024

21.05.2024

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी हाल खाता संख्या 134, खसरा नम्बर 179 रकबा 0.23, 351/0.15, 463/437/0.27, 470/354/0.07, 475/184/0.01, कुल किता 5 कुल रकबा 0.73, हिस्सा सम्पूर्ण , खाता संख्या 53 खसरा नम्बर 428/2.21है0 का 1/72 वाके ग्राम खरखडा एवं खाता संख्या 455 खसरा नम्बर 1068/934 रकबा 0.07, 937/0.12, 953/0.13 कुल किता 3 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम थाना तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी के विधिवत् रूप से तकसीम होने तक अप्रार्थीगण, प्रार्थी / वादी को जबरन बेदखल नही करें। वादी/प्रार्थी को उसका हिस्सा मुताबिक उसकी आराजी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की रूकावट वो मजाहमत पैदा ना करे। ना कोई निर्माण कार्य करें तथा प्रतिवादी/अप्रार्थीगण संख्या 4 इस मौजूद इन्द्राज के आधार पर उक्त आराजी के किसी भी भाग को जरिये रहन वैय हिबय दान आदि के मुंतकिल नही करे। और कोई भी मुंतकिली का दस्तावेज तहरीर व पंजीबद्व नही करावें। ना ही प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 3 जो कि प्रतिवादी संख्या 1 से मिला हुआ है। कोई निर्माण कार्य आराजी के विशिष्ठ भाग पर नही करे। अन्त में विवादित आराजी के मौंके व राजस्व की यथा स्थिति यथावत् बनाये रखे जाने बाबत अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि उक्त वर्णित विवादित आराजी का प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 1 लालाराम पुत्र हरबक्स काबिज खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। तथा उक्त आराजी लालाराम को उसके पिता व पितामह से विरासम में प्राप्त हुयी है। तथा हिन्दू मुर्स्तका खानदान की पैत्रिक आराजी है। वादी, अप्रार्थी सख्या 1 लालराम का पुत्र होने के कारण वादी का उक्त आराजी का जन्म से ही हक हकूक प्राप्त है तथा वादी अपने पिता से 1/4 हिस्से की उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। और आज भी वादी/प्रार्थी उक्त आराजी के 1/4 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करके अपने व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। प्रार्थी को उसके हिस्से की उक्त आराजी से वंचित करने की नियत से उक्त आराजी के रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 लालाराम का नाम दर्ज होने के कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी विवादित को दीगर शख्सों को बेचान कर कब्जा करना चाहते है। विवादित आराजी पैत्रिक आराजी है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी आदेशों तक उभय पक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी हाल खाता संख्या 134, खसरा नम्बर 179 रकबा 0.23, 351/0.15, 463/437/0.27, 470/354/0.07, 475/184/0.01, कुल किता 5 कुल रकबा 0.73, हिस्सा सम्पूर्ण , खाता संख्या 53 खसरा नम्बर 428/2.21है0 का 1/72 वाके ग्राम खरखडा एवं खाता संख्या 455 खसरा नम्बर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
1068/934 रकबा 0.07, 937/0.12, 953/0.13 कुल किता 3 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम थाना तहसील राजगढ़ जिला अलवर की उभय पक्षकारान मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। विवादित भूमि का बेचान/रहन ना करे। ना ही कोई निर्माण आदि करे। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 26.06.2024 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। sd/- (सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी राजगढ	
26.06.24 पत्रावली पेश। अप्रार्थी संख्या (1) लगा (3) एव पैरोकार प्रतिनिधि उपस्थित। वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 02.09.24 को पेश हो। sd/- SDO	तलबी रिपोर्ट प्राप्त
2/9/24 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 6/11/24 को पेश हो। रीडर	
06.11.24 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप०। वास्ते जवाब दिनांक 10.01.25 को पेश हो। sd/- SDO	
10/1/25 पत्रावली पेश वकील प्रार्थी उप० वास्ते जवाब दि० 19/3/25 को पेश हो। sd/- SDO	
10/11/25 पत्रावली कार्रवाई पेशी से पेश वकील प्रार्थी व प्रतिवादी उप० वास्ते जवाब दिनांक 17/12/25 को पेश हो। sd/- न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
17/12/25 पत्रावली पेश। मुताबिक अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी के न रहने खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र 212 RT Act की कार्यवाही बंद की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम हो बाद [illegible] के बा [illegible] पूर्ति अनुवाद सकरण हो। (हस्ताक्षर)	